SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

विश्व शांति स्थापना में मानवाधिकारों की प्रासंगिकता

मनोज कुमार मिश्रा, (Ph.D.), प्राचार्य,
पारसनाथ महाविद्यालय, इसरी बाजार, गिरिडीह, झारखंड, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author
मनोज कुमार मिश्रा, (Ph.D.), प्राचार्य,
पारसनाथ महाविद्यालय, इसरी बाजार,
गिरिडीह, झारखंड, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 24/12/2021
Revised on : -----
Accepted on : 31/12/2021
Plagiarism : 03% on 27/12/2021

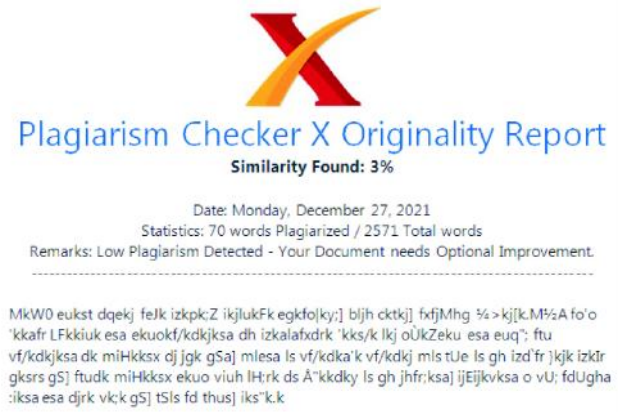
Plagiarism Checker X Originality Report
Similarity Found: 3%

Date: Monday, December 27, 2021
Statistics: 70 words Plagiarized / 2571 Total words
Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

MkW0 eukst dqekj feJk izkpk;Z ikjlukFk egkfo|ky;] bljh cktkj] fxfjMhg ¼>kj[k.M½A fo'o 'kkafr LFkkiuk esa ekuokf/kdkjksa dh izkalafxdrk 'kks/k lkj oÙkZeku esa euq"; ftu vf/kdkjksa dk miHkksx dj jgk gSa] mlesa ls vf/kdka'k vf/kdkj mls tUe ls gh izd`fr }kjk izkIr gksrs gS} ftudk miHkksx ekuo viuh lH;rk ds Å"kkdky ls gh jhfr;ksa] ijEijkvksa o vU; fdUgha :iksa esa djrk vk;k gS] tSls fd thus] iks"k.k

शोध सार

वर्तमान में मनुष्य जिन अधिकारों का उपभोग कर रहा हैं, उसमें से अधिकांश अधिकार उसे जन्म से ही प्रकृति द्वारा प्राप्त होते है, जिनका उपभोग मानव अपनी सभ्यता के ऊषाकाल से ही रीतियों, परम्पराओं व अन्य किन्हीं रूपों में करता आया है, जैसे कि जीने, पोषण एवं सुरक्षा प्राप्त करने, विचरण करने, वाणी को अभिव्यक्त करने, प्रकृति उपहारों का उपभोग करना इत्यादि। राज्य व समाज ने तो इन अधिकारों को समय–समय पर मान्यता व सुरक्षा प्रदान कर इन्हें और अधिक परिष्कृत तथा व्यापक बनाया है। प्रसिद्ध राजनीतिक उदारवादी विचारक जान लॉक का मत है कि ''जिन्हें राज्य छीन नहीं सकता इसी तरह सिसरों, वाल्टेयर, टामसपैन, ब्लेकस्टोन ने भी इस मत का समर्थन किया है कि मानव अधिकार प्रकृति प्रदत्त है।''

मानवाधिकारों की प्राकृतिक व्यवस्था एवं मान्यता के बावजूद, निरंकुश राजतंत्रों द्वारा मनुष्यों के अधिकार छीनकर उनके ऊपर अमानुषिक अत्याचार किए जाते थे। यह वह युग था, जबकि मनुष्यों के इन प्राकृतिक प्रदत्त मानवाधिकारों की परवाह किए बिना जरा–जरा से अपराधों के लिए जिन्हें अमानुषिक यातनाएँ देने और जुल्म, शोषण, अन्याय अत्याचार, उत्पीड़न का जीवन जीने को विवश किया जाता था। इन निरंकुश एवं अत्याचारी शासन व्यवस्थाओं के विरूद्ध, संघर्ष कर मनुष्य अपने प्राकृतिक एवं मानवीय अधिकारी की रक्षा करने व इनका राजसत्ताओं को एहसास दिलाने के लिए अतीत में छटपटाता रहा है।

मुख्य शब्द

मानवाधिकार, नागरिक, उत्थान, विकास, कर्तव्य, अंतराष्ट्रीय.

प्रस्तावना

मानव सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति समझी जाती है। इसके समुचित उत्थान और विकास हेतु आवश्यक है कि उसे जन्म के उपरान्त ही कुछ मूलभूति अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाएं और यह समाज तथा सरकार का पुनीत कर्त्तव्य और दूसरे शब्दों में उत्तरदायित्व होना चाहिए कि वह प्रत्येक व्यक्ति को समाज में सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए सभी साधन और अवसर उपलब्ध कराए। इसी परिप्रेक्ष्य में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ''संयुक्त राष्ट्र'' द्वारा बिना देश, धर्म, लिंग और जाति के भेदभाव के सम्पूर्ण विश्व के प्रत्येक मानव के लिए मूलभूत अधिकार दिलाने के लिए 'मानवाधिकार घोषणा' के नाम से एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को जारी 'मानवाधिकार घोषणा' में सभी देशों के प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 अधिकारों को प्रदान करने की घोषणा की गई। हमारे देश के में भी इसी आधार पर सभी देशवासियों को सहज और प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले इन सभी अधिकारों को दिलाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रयत्न भी किए गए हैं। वास्तव में मानव होने के नाते ही हम सभी को भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामान्य नागरिक सुविधाओं एवं सुरक्षायुक्त जीवन जीने का हक है। हमारा यह हक हमें सदैव मिलता रहे और इस हक को कोई न छीन सके इस उत्तरदायित्व का भली–भाँति निर्वहन हेतू अक्टूबर 1993 में देश में 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' का गठन किया गया है और विभिन्न राज्यों में भी 'राज्य मानवाधिकार आयोगों' का गठन कर इस व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ एवं संगठित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मानवाधिकार आयोग का मुख्य उद्देश्य देश के सभी नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने संबंधी व्यवस्था कि निगरानी करना तथा मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों को समुचित दण्ड दिलवाकर भविष्य में इस प्रकार के कुकृत्यों की पुनरवृत्ति रोकना है।

संयुक्त राष्ट्र संघ को 'मानवाधिकार घोषणा' के आधार पर संसार के प्रत्येक व्यक्ति को 30 प्रकार के अधिकारों को मोटे तौर पर तीन वर्गों में विभाजित किया गया।

मानवाधिकारों से संबंधित 10 दिसम्बर, 1948 के सार्वभौमिक घोषणा पत्र की प्रस्तावना में जो उद्देश्य उद्धत किया गया है, वही उद्देश्य वस्तुतः न्यायालयों की स्थापना का भी है अर्थात् मानवीय अधिकारों की न्यायपूर्ण शासन द्वारा रक्षा की जाये ताकि किसी व्यक्ति को अन्याय ओर अत्याचार के विरूद्ध अंतिम विकल्प के रूप में विद्रोह की शरण लेने के लिए विवश न होना पड़े।

वस्तुतः न्यायपालिका का उद्देश्य भी नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित तथा उनकी रक्षा करना है इसलिए न्यायालयों को समाज का सुरक्षा का बल्ब भी कहा जाता है, जो समाज में सशस्त्र विद्रोह को टालते हैं। उपचारी उपायों से रहित अधिकारों का कोई अर्थ नहीं है। अधिकार वही है जो शासन की शक्ति या क्षमता द्वारा क्रियान्वित किया जा सके। जिन अधिकारों का कर्यान्वयन सुनिश्चित न किया जा सके, वे केवल नैतिक अथवा धार्मिक दिशा निर्देश मात्र है। न्यायालय राज्य में स्थित वह तंत्र है जो अधिकारों के पालन को सुनिश्चित करता है। मनुष्य एवं समाज के विकास के लिए भी मानवधिकारों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि इससे मानव–प्रतिमा का पूर्ण प्रकटीकरण होता है।

अततः इस प्रक्रिया से विश्व मे विश्व में व्यवस्था, शांति तथा समृद्धि स्थापित होती है। स्पष्ट है कि मानवाधिकारों के संरक्षण तथा संवर्द्धन के लिए यह अपरिहार्य सत्य है कि राज्य में स्थित न्यास प्रणाली सशक्त हो। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान व्यापक पैमाने पर मानवाधिकारों के हनन को देखते हुए 'शान्ति स्थापना लीग' नामक संस्था का गठन किया गया था। जून 1915 में फिलाडेल्फिया में इसका प्रथम अधिवेशन सम्पन्न हुआ। इसी क्रम में 1920 में राष्ट्र संघ का गठन किया गया, परन्तु ये सारी प्रक्रिया एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहमति के अभाव में निरर्थक साबित हुई। मानवाधिकार गतिविधियाँ द्वितीय विश्व युद्ध की भंयकर त्रासदी का परिणाम है। इसकी भूमिका की शुरूआत 1941 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रेंकलिन रूजवेल्ट के भाषण से हो गई थी।

6 जनवरी, 1941 को दिए गए एक भाषण में रूजवेल्ट ने मनुष्य की मूलभूत चार स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था। 14 अगस्त 1941 को कुछ देशों द्वारा अंगीकृत अटलांटिक चार्टर में भी मनुष्य की स्वतंत्रताओं की वकालत

की गई थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् न्यरेंबर्ग विचारण ट्रायल में भी मानवाधिकारों की बात की गई। इस ट्रायल मे न्यायालय ने कहा कि जाति हत्या जैसे जघन्य अपराधों से कोई व्यक्ति यह कहकर नहीं बच सकता कि उसने राज्य की आज्ञा के पालन की दिशा में यह किया है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रारूप पर चर्चा के लिए संस्थापक देशों के सानफ्रंसिस्कों सम्मेलन में भी मानवाधिकारों पर विस्तृत चर्चा की गई। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ गठन के बाद सानफ्रांसिस्कों सम्मेलन में हुई चर्चा को कार्यक्रम में परिणित करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् ने संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1946 में एलोनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानवाधिकारों के प्रारूप के रचना के लिए मानवाधिकार आयोग का गठन किया।

मानवधिकारों को मामला आजकल विश्व के राजनैतिक पटल पर एक अहम मुद्दा बनकर सामने आया है, जो देश पहले अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए विश्व के विभिन्न भागों में क्रुर सरकारों को अपना समर्थन दे रहे थे, वही देश आज मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अपने आपको कृत संकल्प बता रहे हैं। मानवाधिकारों की रक्षा जैसे मानवीय मुद्दे पर कोई मतभेद होना तो नहीं चाहिए लेकिन जिस प्रकार कुछ विकसित परिश्रमी देश इस मुद्दे को राजनैतिक रंग प्रदान कर रहे हैं, उससे विश्व दो भागों में बँटता नजर आ रहा है। एक ओर जहाँ अमेरिका तथा परिश्रमी सहयोगी देश कम्युनिज्म पर अपनी विजय से मदहोश होकर अन्य देशों पर मानवाधिकार का अपना मानदण्ड थोपने पर लगे हैं, वहीं दूसरी ओर चीन तथा कई इस्लामिक राष्ट्र इस मुद्दो पर अमेरिका से असहमति जताते हुए अपना अलग मत व्यक्त कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि परिश्रमी राष्ट्र उनके आन्तरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे है। इन्हीं विवादों पर विचार करने के लिए तथा मानवाधिकारों के संबंध में एक स्पष्ट विश्व जनमत तैयार करने के उद्देश्य से 25 वर्षों के बाद हाल ही में मानवाधिकारों पर एक विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया। वियाना में आयोजित इस सम्मेलन में 167 देशों के प्रतिनिधियों के साथ–साथ कई गैर सरकारी संगठनों (NGOs) ने भाग लिया।

मानवाधिकारों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर काफी बहस भी हुई और बहुत मुश्किल से सर्वसम्मत घोषणा–पत्र तैयार किया जा सका। इस सम्मेलन में उभरे बिन्दुओं के विश्लेषण से पूर्व इनकी पृष्ठभूमि पर एक नजर डालना उचित होगा।

मनुष्य को अपनी गरिमा व उसमें निहित प्रक्रिया के विकास तथा इसे अक्षुण रखने के लिए जहाँ तक एक उसे प्रकृति द्वारा उसके जन्म से ही कुछ अप्रत्याहरणीय सुविधाएं एवं साधन प्रदत्त होते हैं वहीं दूसरी ओर समाज एवं राष्ट्र से भी उसे कुछ सुविधाएं अपेक्षित होती है। जब इन्हीं सुविधाओं एवं साधनों को समाज एवं राज्य की मान्यता मिल जाती है, उस पर स्वीकृत की मुहर लग जाती है, तो ये अधिकार का स्वरूप धारण कर लेता है, जिनका देशकला एवं परिस्थितियों के अनुरूप स्वरूप परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार हम देखते है अधिकारों का सीधा संबंध मनुष्य के समाज में अस्तित्व एवं उसका व्यक्तित्व के विकास से होता है। प्रसिद्ध राजनैतिक विचारक लॉसकी के शब्दों में ''अधिकार सामाजिक जीवन की ये परिस्थितियां है जिनके बगैर सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता।''

मानव इतिहास के सम्पूर्ण काल में सभी समाजों और संस्कृतियों में कुछ ऐसे अधिकार और सिद्धान्त लागू रहे है जिनका न केवल सम्मान किया जाता था बल्कि उनका संरक्षण भी किया जाता था। इसी आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानवाधिकारों की आवाज बुलन्द हुई। प्रत्येक मुनष्य को अधिकारों के उपयोग और संरक्षण का अधिकार है। विश्व भर में क्रान्तिकारी आन्दोलनों ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य के अधिकार अहरणी (अहस्तांतरणीय) और पवित्र है। मानवाधिकारों की समकालीन संकल्पना को बीसवीं शताब्दी और दो विश्व युद्धों के सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए। मानव इतिहास में संयुक्त राष्ट्र का आर्विभाव एक युगांतकारी घटना है।

संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र में मौलिक मानवाधिकार, मनुष्य की गरिमा एवं महत्व, स्त्री पुरूष और छोटे–बड़े के समान अधिकारो में पूर्ण विश्वास व्यक्त किया गया है। सार्वभौमिक घोषणा के बाद अन्य घोषणा के बाद अन्य घोषणाएँ की गई। मनुष्य के कुछ नागरिक और राजनीतिक अधिकार है, जो सर्वोच्च महत्व देते हैं। बाद में

सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सुरक्षा से संबंधित अन्य अधिकार घोषित किए गए। हाल में ही मानवता के लिए खतरा बनी कुछ नई समस्याओं और मुद्दों के सन्दर्भ में अन्य कई मानवधिकार उभरे है ये पर्यावरण, सांस्कृतिक और विकास से संबंधित हैं। इन अधिकारों का संबंध का समूहों और लोगों से है, इनमें शामिल हैंः 'आत्मनिर्णय का अधिकार और विकास का अधिकार।' संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित मानवाधिकारों के संबंध में प्रस्तावना के अतिरिक्त 30 अनुच्छेद भी हैं। इन अधिकारों को मूल रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैंः–राजनीतिक नागरिक अधिकार और आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकार। पहली श्रेणी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, घुमने–फिरने की स्वतंत्रता आदि आते है। दूसरी श्रेणी के अधिकारो में रोजगार का अधिकार, शिक्षा, न्यूनतम जीवन स्तर को बनाये रखने हेतु कपड़ा, मकान और भोजन आदि का अधिकार आता है। साथ ही साथ जीवन को विषम परिस्थितियों जैसेः बीमारी, बुढ़ापा अथवा शारीरिक अक्षमता आदि में राज्य से सुरक्षा की गारन्टी भी सम्मिलित है।

भारतीय संविधान और मानवाधिकार भारतीय संविधान में सभी मानवाधिकारों को शामिल किया गया है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत मिलकर मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के समझौतों तथा आर्थिक–सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की भावना को व्यक्त करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, कि सभी भारतवासियों ने अपने समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुवता बढ़ाने का सत्यनिष्ठा के साथ संकल्प लिया है।

इन मानवाधिकारों को भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धान्तों में समाहित करने का प्रयास किया है। अब प्रश्न उठता है, कि क्या वे सभी मानवाधिका जो व्यक्ति को मानव के रूप में जन्म लेने के कारण प्रकृति प्रदत्त है, वास्तव में वे उपयोग में आते भी हैं या नहीं। ये मानवाधिकार कई कारणों से बाधित होते हैः एक तो मानवाधिकार विरोधी कानून बनाकर, दूसरा जानबूझ कर इनको न मानकर, तीसरा समाज की मानवाधिकार विरोधी प्रथाओं एवं गलत परम्परा का अनुकरण कर। निर्धन एवं अशिक्षित समाज में मानवाधिकारों का हनन सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक हनन नारी के अधिकारों का होता है। पुलिस की ज्यादतियाँ भी इसके लिए बहुत हद तक उत्तरदायी हैं। बन्धुआ मजदूरों का शोषण, आदिवासियों का शोषण एवं विकास के नाम पर विस्थापन और जल, जंगल, जमीन पर उनके अधिकारों को चुनौती आदि मानवाधिकार के हनन का उदाहरण है।

निष्कर्ष

मानव मात्र होने के कारण उसके स्वयं के विकास एवं क्षमताओं के प्रस्फुट के लिए कई सारी व्यवस्थाओं की सुनिश्चितता आवश्यक है। इन व्यवस्थाओं, दशाओं अथवा परिस्थितियों को ही व्यक्ति के मानव अधिकार के रूप में समझा जा सकता है, जैसेः जीने का अधिकार। भारतीय परिपेक्ष में सामान्यतः मानवाधिकारों के प्रति आम जनता में जागरूकता का अभाव सा परिलक्षित होता है। फलतः शोषण, अन्याय, उत्पीड़न, अत्याचार, लोगों के अधिकारों का हनन आदि सामान्य रूप से प्रचलित है। वस्तुतः देश व समाज के प्रति जागरूकता का होना आवश्यक है। जागरूक व्यक्ति से ही जागरूक समाज और राष्ट्र का निर्माण सम्भव है। संक्षेप में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता किया जा सकता है।

वैसे तो 'मानवाधिकार' शब्द प्रचलित हो चुका है, किन्तु इसकी आवधारणा के विषय में अनिभज्ञता देखने को मिलती है। अतः यह आवश्यक है, कि मानवाधिकारों के संबंध में गम्भीरता पूर्वक छात्रों को जानकारी दी जाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकार को एक विषय के रूप में विद्यालयों और पुलिस प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की दिशा में कुछ पहल की है। मानवाधिकार में प्रामाणपत्र पाठ्यक्रम, डिप्लोमा पाठ्यक्रम, वर्तमान में विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा चलाया जा रहा है। हालांकि कई मानवाधिकार संस्थान भी इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के संक्षिप्त पाठ्यक्रमों को संस्थागत एवं पत्राचार माध्यम से संचालित कर रहे हैं, किन्तु इसे और बढ़ाने की जरूरत है।

आम जनता विशेष कर ग्रामीण जनता जो कि निर्धनता के साथ ही निरक्षरता से पूरी तरह ग्रस्त है, को विभिन्न प्रकार के विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से मानवाधिकारों से प्रति जागरूक बनाया जा सकता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कानून संवैधानिक व्यवस्थाओं जैसेः मूल अधिकार आदि एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार के कार्य के संबंध में विधिवत् जानकारी प्रदान की जा सकती है। हमारे यहाँ श्रम के क्षेत्र में असंगठित श्रमिकों में शोषण व उत्पीड़न ज्यादा है, जैसेः कृषि, भवन निर्माण आदि। इन लोगों के बीच भी इस तरह के साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। अधिकारों के क्रम में जब हम मानवाधिकारों की बात करते हैं तो पाते हैं कि मानवाधिकारों की यह अवधारणा अधिकारों की अपेक्षा अधिक व्यापक है। मानवाधिकारों से तात्पर्य उन सब परिस्थितियों व पर्यावरण से होता है जो मानव को मानव के रूप में अपने अस्तित्व को कायम रखने व व्यक्तित्व के विकास तथा निर्माण के लिए अनिवार्य होती है। इस दृष्टि से मानवधिकारों की परीधि में केवल प्राकृतिक उपकार जैसेः हवा, जल इत्यादि ही नहीं आते बल्कि इनके साथ–साथ ससम्मान जिने पोषण, रक्षण प्राप्त करने सहित वे सब उपागम जो व्यक्तित्व विकास के लिए अपरिहार्य है जैसेः रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, संस्कृति आदि सभी आवश्यकताओं को सम्मिलित किया किया जा सकता है। मानव के लिए अपरिहार्य इन सब सुविधाओं को अनेक लोकतांत्रिक राष्ट्रों ने अपने नागरिकों के विकास के लिए अनिवार्य समझते हुए अपनी–अपनी सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप अपने यहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाओं एवं मूलभूत कानून में स्थान दिया है, जिन्हें मूलभूत अधिकारों (Fundamental Right) के नाम से जाना जाता है।

यहाँ यह स्पष्ट करना समाचीन होगा कि मूलभूत अधिकारों एवं मानवाधिकारों में बुनियादी रूप से कुछ भेद है। सभी मूल अधिकारों को मानवाधिकार नहीं माना जा सकता जबकि सभी मानवाधिकारों को मूल अधिकारों की श्रेणी के अन्तर्गत रखा जा सकता है। उदाहरणर्थः– मत देने का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है न कि मानवाधिकार क्योंकि इन अधिकारों के बगैर भी मनुष्य अपना अस्तित्व कायम रख सकता है, जैसा कि समाजवादी देशों में होता था। इसके विपरित जीने एवं सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार मूलभूत अधिकार है और मानवाधिकार भी क्योंकि इनके अभाव में मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ सकता है।

संदर्भ सूची

1. वैदिक वेदप्रताप, भारतीय विदेश नीति–नय दिशा संकेत, 1980 पृ0– 123 दिनमान 27–सिम्बर, 3–अक्टूबर, 1981 पृ0– 31
2. फ्राइडरिश सी0जे0, कॉसटी ट्यूषनल गवर्नमेण्ट एण्ड पॉतिरिक्स हॉपर– 1937 पृ0–12–14
3. प्र0च0 शास्त्री द्वारा लिखित पा0– संयुक्त राष्ट्र संघ में लघु तथा लघुतम राष्ट्रीय राज्यों की भूमिका– एक समालोचन पर आधारित, 1967 पृ0– 8, 9
4. एलमेर प्लिशखके, माइक्रोस्टेटस् इन वर्ल्ड–एफेयर्स–पालिसी प्राब्लम्स एण्ड आप्शन्स 'वाशिंगटन डी0सी0' 1967 पृ0– 38
5. महेन्द्र कुमार, अन्तराष्ट्रीय राजनीति के सैद्धन्तिक पक्ष, आगरा 1977, पृ0– 215
6. दास भगवान, समसामयिक लेख, प्रतियोगिता दर्पण दिसम्बर– 1997 पृ0– 66
7. 10 दिसम्बर 1948 के प्रस्ताव क्रमांक 217अ (III) द्वारा घोषित व स्वीकृत मानवाधिकारों के घोषणा पत्र।
8. मानवधिकार से संबंधित आयोगों का प्रतिवेदनः
   (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 1990
   (ख) मण्डल आयोग 16 नवम्बर, 1993 का सर्वोच्च न्यायालय का प्रतिवेदन
   (ग) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग– 1992

9. इन्टरनेशलन लीग फॉर ह्यूमन राइटस का प्रतिवेदन –1962
10. इन्टरनेशलन कमीशन फॉर प्यूरिस्टस का प्रतिवेदन –1952
11. एमेनेस्टी इन्टरनेशलन का प्रतिवेदन –192
12. वकिंग ग्रुप ऑफ दी कमीशन फॉर ह्यूमन राइटस का प्रतिवेदन।

****